भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3609
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

केन्द्र प्रयोजित योजना

3609. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मजदूरों के लिए बिहार में आरंभ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है;
(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार में विशेष रूप से गोपालगंज जिले में उक्त योजना से कुल कितने मजदूरों को लाभ मिला है; और
(ग) क्या रोजगार और कौशल विकास संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा देश में बेरोजगारी के मुद्दे का अध्ययन करने का कोई विचार है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): मंत्रालय देश भर में रोजगार मिलान, आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विभिन्न आजीविका संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस के अंतर्गत सेवाएं (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध है एवं इन सेवाओं तक करियर केंद्रों, साझा सेवा केंद्रों (सीएससी), डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफों आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा जा सकता है। एनसीएस पोर्टल एक समर्पित हेल्प-लाइन (बहु-भाषीय) द्वारा भी समर्थित है व प्रयोगकर्ताओं की सहायता हेतु यह मंगलवार से रविवार तक उपलब्ध है।

एनसीएस परियोजना में आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने तथा इसे रोजगार कार्यालयों के साथ आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से आउटरिच कार्यकलापों का आयोजन करके एनसीएस की पहुंच को अधिकतम करने के लिए आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की जा रही है। 8 मार्च, 2020 को एनसीएस पोर्टल पर 1.05 करोड़ रोजगार चाहने वाले सक्रिय हैं जिसमें गोपालगंज से 21,382 सहित बिहार से 11,21,172 व्यक्ति हैं।

(ग): रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने के लिए 06.06.2019 को रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है।

*****